न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति निशा सहारण(आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 04 / 2021

1. गणेश पुत्र डालू जाति गुर्जर, आयु 45 वर्ष निवासी ग्राम काचरिया, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर राजस्थान
2. मगल पुत्र डाल, जाति गुजर आयु 48 वर्ष निवासी ग्राम काचरिया तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर, राजस्थान।
3. भंवरलाल पुत्र किशना, जाति गुर्जर, आयु 60 वर्ष, निवासी ग्राम काचरिया, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर, राजस्थान

–प्रार्थीगण

बनाम

1. कैलाश पुत्र भंवरलाल, जाति बलाई, निवासी– ग्राम काचरिया, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर, राजस्थान।
2. कैलाश पुत्र रामा, जाति बलाई, निवासी– ग्राम काचरिया, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान।
3. गोपाल पुत्र सूजा, जाति वलाई, निवासी– ग्राम काचरिया, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर, राजस्थान।
4. नन्दा पुत्र सूजा, जाति बलाई, निवासी– ग्राम काचरिया, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर, राजस्थान। (मृतक)

4/1 गुलाबदेवी पुत्री स्व. नन्दा जाति बलाई, निवासिन– ग्राम काचरिया, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान।

4/2 मिश्रीलाल पुत्र स्व. नन्दा जाति बलाई, निवासी ग्राम काचरिया, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान।

5. मोहन पुत्र हरजी, जाति बलाई, निवासी ग्राम काचरिया, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान।
6. रामा पुत्र सूजा, जाति बलाई, निवासी ग्राम काचरिया, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान।
7. विश्राम पुत्र हरजी, जाति बलाई, निवासी– ग्राम काचरिया, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान।
8. भौरत पुत्र जवारा, जाति गुर्जर, निवासी– ग्राम काचरिया, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर, राजस्थान।
9. कानाराम पुत्र भैरू, जाति गुजर निवासी– ग्राम काचरिया, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर, राजस्थान।
10. विश्राम पुत्र भैरू, जाति गुजरया निवासी ग्राम काचरिया, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़।
12. श्रीमान् उप पंजीयक किशनगढ़।

–अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 13/01/25

उपस्थितः वकील प्रार्थी श्री इन्द्रेश कुमार
वकील अप्रार्थी श्री डीसी सेठी 1 से 7
वकील अप्रार्थी श्री नारायण सेन 8 से 10

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से वकील श्री इन्द्रेश द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के

तहत् प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जो बाद जांच रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थीगण के अधिकार, मिलकीयत की कृषि भूमि खसरा संख्या 98 रकबा 0.8818 हैक्टर किस्म 0.7362 हैक्टर नहरी प्रथम एवं 0.1456 हैक्टर बंजड प्रथम ग्राम काचरिया, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर में अवस्थित है। प्रार्थी संख्या 1 उपरोक्त भूमि में हिस्से 1/2 के, प्रार्थी संख्या 2 हिस्से 1/6 के तथा प्रार्थी संख्या 3 हिस्से 1/3 के सह खातेदार, काबिज, काश्तकार है। वर्णित भूमि खसरा संख्या 98 के उत्तर दिशा में खसरा संख्या 96 एवं 334/94 तथा उनके आगे क्रमशः खसरा संख्या 95 एवं 94 है तथा खसरा संख्या 95 व 94 के उत्तर दिशा में खसरा संख्या 118 गै०मु० रास्तें की भूमि है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 खसरा संख्या 95 व 96 के सह खातेदार, काबिज, काश्तकार हैं। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 8 खसरा संख्या 334/94 एवं अप्रार्थी संख्या 9, 10 खसरा संख्या 94 के सह हिस्सेदार है। प्रार्थीगण की खसरा संख्या 98 के लगते हुये कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं है तथा प्रार्थीगण काफी दीर्घावधि से उपरोक्त खसरा संख्या 95 एवं 96 की पूर्वी सींव एवं खसरा संख्या 94 एवं 334/94 के पश्चिम सींव से आवागमन करते–कराते आ रहे है, किन्तु उपरोक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में तरमीम नही होने से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 प्रार्थीगण के निरन्तर सुगम आवागमन में बाधा करते हैं। प्रार्थीगण के पास खसरा संख्या 95 व 96 के पूर्व सींव से एवं खसरा संख्या 94 एवं 334/94 की पश्चिमी सींव के अतिरिक्त आवागमन के लिये न तो अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हैं। प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थीगण ने परिशिष्ट–1 मानचित्र में उपरोक्त खसरा संख्या 95 एवं 96 के पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण एवं इसी प्रकार खसरा संख्या 94 एवं 334/94 की पश्चिमी सींव पर उत्तर से दक्षिण प्रत्येक भूमि में से 10 फीट चौडा एवं उत्तर से दक्षिण प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 98 के दक्षिणी सींव तक प्रवेश के लिये रास्ता चाहा हैं, जिसे मानचित्र नक्शें में ए, बी, सी, डी लाल रंग से चिन्हित किया गया है तथा उपरोक्त ए, बी, सी, डी से चिन्हित रास्ता उत्तर दिशा में खसरा संख्या 118 गै०मु० रास्ते से मिलता हैं जो प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 98 के लिये निकटतम, लघुत्तम (**Shortest and Nearest**) है तथा उपरोक्त रास्तें के अतिरिक्त प्रार्थीगण के पास स्वयं की खसरा संख्या 98 की पहुंच के लिये अन्य कोई रिकार्डेड अथवा वैकल्पिक रास्ता नही है। उपरोक्त परिशिष्ट–1 इस प्रार्थना पत्र का एक अंग है। आज के युग में कृषि मे हरित कान्ति आने से काश्त के लिये यान्त्रिक उपकरण यथा ट्रेक्टर एवं फसल कटाई की मशीनरी का उपयोग किया जाता हैं जिसके लिये न्यूनतम से न्यूनतम 20 फीट चौडा रास्ता आवश्यक रहता हैं, क्योंकि साधारणतया ट्रेक्टर की ट्रोली 10 से 12 फीट चौडी रहती हैं एवं उसमें फसल, चारा इत्यादि भरकर ले जाया जाता हैं तथा ट्रेक्टर, फसल कटाई की मशीन कम्पास रास्तें पर घुमाव फिराव के लिये न्यूनतम से न्यूनतम 20 फीट का रास्ता तो वांछित रहता है। यद्यपि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 30 फीट चौडे रास्तें के लिये प्रावधान करता है, किन्तु प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सद्भाविक होने से प्रार्थीगण ने केवल 20 फीट चौडे रास्तें की ही मांग की हैं। प्रार्थीगण का इस प्रार्थना पत्र संस्थन में कोई दुर्भावना या दुराशय नही है। अन्यथा भी विधायिका द्वारा रास्तें के बाबत् हर खातेदार को विधि संगत अधिकार मानते हुये संक्षिप्त एवं सरसरी प्रक्रिया से प्रार्थना पत्र निर्धारण किये जाने के विधायिका ने उपबन्ध व प्रावधान किये है। प्रार्थीगण उपरोक्त अप्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि रास्तें के बाबत् पारित आदेश से जितनी भी प्रभावित होती हैं की जिला स्तरीय समिती द्वारा अभिनिर्धारित दर से दुगुनी राशि अप्रार्थीगण को संदाय करने में तत्पर है। जिससे अप्रार्थीगण को भी कोई कठिनाई नही होगी। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के अधीन एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तरविष्ट अनुसूची–तृतीय के अधीन माननीय न्यायालय के सुनवाई क्षेत्राधिकारिता में न्यस्त करता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसूची तृतीय में वर्णित न्यायशुल्क के मुद्रांक चस्पा है। प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

प्रार्थना पत्र अन्दर मयाद अवधि में प्रस्तुत है। अप्रार्थी संख्या 11 भू–धारी है। अप्रार्थी संख्या 11 के विरुद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नही चाहा गया है। किन्तु माननीय न्यायालय द्वारा वर्णितानुसार रास्ते बाबत कोई आदेश किया जाता है तो इसका अंकन अप्रार्थी संख्या 11 द्वारा अपने संधारित राजस्व रिकार्ड में किया जाना है। अतः उन्हें पक्षकार अप्रार्थी बनाया गया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर, प्रार्थना पत्र अनुसंलग्न मानचित्र में ए. बी, सी, डी से चिन्हित भूमि जो खसरा संख्या 95 व 96 के पूर्वी भुजा पर 10 फीट चौडा एवं उत्तर से दक्षिण लम्बा तथा इसी प्रकार खसरा संख्या 94 एवं 334/94 की पश्चिम सींव पर उत्तर से दक्षिण 10 फीट चौडा इस प्रकार कुल 20 फीट चौडा एवं उत्तर से दक्षिण खसरा संख्या 98 की उत्तरी भुजा तक पहुंच के लिये रास्तें के बाबत् आदेश पारित कर, उक्त आदेश अनुसार रास्तें की भूमि को संबंधित खसरे से कम कर, राजस्व ट्रेस में तरमीम कर पृथक से खसरा तरमीम करवाये जाने की आदेश प्रार्थीगण के पक्ष एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 के विरूद्ध पारित की जावें। प्रकरण परिस्थितियों में अन्य अनुतोष जो माननीय न्यायालय प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 से दिलवाया जाना उचित समझती हो का आदेश प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 के विरूद्ध पारित की जावे।

प्रार्थना पत्र को दिनांक 22.01.2021 को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगणों की तलबी करवाई गई। दिनांक 25.02.2021 को अप्रार्थी संख्या 01, 02, 03, 04/2, 5, 06 व 07 की ओर से वकील श्री डी.सी.सेठी द्वारा वकालतनामा पेश किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 08, 09, 10 की ओर से वकील श्री नारायण सेन उपस्थित हुये। दिनांक 05.03.22021 को अप्रार्थी संख्या 01, 02, 03, 04/2, 5, 06 व 07 की ओर से जवाब एवं फर्द दस्तावेज पेश हुये। जवाब में वकील अप्रार्थी ने जाहिर किया कि कि प्रार्थीगण के पास खसरा नम्बर 98 में आने जाने के लिए पूर्व से ही दो वैकल्पिक रास्ते मौजूद है। अप्रार्थीगण द्वारा पेश नजरी नक्शा ए. से बी. स्थान वाले रास्ते से जो रास्ते के बीच दोनो और बाड बनी हुई है तथा ए.बी. रास्ते पर जो खसरा नम्बर 241/99 व 97 में से होकर खसरा नम्बर 98 में प्रार्थीगण आते जाते है। यह रास्ता साढे बाहर फीट चौडा है। यानि खसरा नम्बर 95 व 96 की पश्चिमी भूजा से होकर प्रार्थीगण अपने खेत 98 में आते जाते रहे है। तथा खसरा नम्बर 97 व खसरा नम्बर 241/99 के खातेदार प्रार्थीगण व प्रार्थीगण परिवार है। प्रार्थीगण के लिए दूसरा वैक्पलीक रास्ता खसरा नम्बर 88 व 87 के बीच मे अप्रार्थीगण द्वारा पेश नजरी नक्शे में डी.से ई. वाला वैक्लपीक रास्ता है। तथा खसरा नमबर 90 प्रार्थी मंगल पुत्र डालू का है। और इसी रास्ते से खसरा नम्बर 98 में प्रार्थीगण आते जाते रहे है और यह दोनो वैक्लपीक रास्ते आज भी मौजूद है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के सभी आक्षेपों का जवाब इस प्रकार है कि खसरा नम्बर 95 व 96 के पूर्वी दिशा में कोई भी रास्ता नही है और न कानूनन प्रार्थीगण को दिया जा सकता है। तथा जवाबकर्ता अनुसूचित जाति के सदस्य है और कानूनन अनुसूचित जाति की भूमि गुर्जर पिछड़ी जाति को नही दिया जा सकता है। कानूनन धारा 42 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट धारा 251क पर अदिभावी है। यदि रास्ता दिया जाता है तो धारा 42 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट आज्ञापक प्रावधानो का उल्लंघन होगा तथा प्रार्थीगण भंवरलाल, मंगल, गणेश को अप्रार्थीगण रामा, विराम, गोपाल, कैलाश, भंवर लाल व कैलाश/रामा, मिश्रीलाल, मोहन, व गुलाब देवी ने अपने खेत खसरा नम्बर 95 व 96 की पश्चिम की मेड पर से दे रखा है जो मौके पर मौजूद है। इसके बाद रास्ता हरिकृष्ण जी वगैरह की जमीन मे से जाकर भंवरलाल की जमीन में चल जाता है जो मौके पर मौजूद है। यह रास्ता सैकडो वर्षो से चला आ रहा है। इसी रास्ते से हरिकिशन नवाद, गोपाल, जगदीश, हरि, मानाराम, काना व मदन, जयकृष्णदास जी, मोहनश्याम जी, जयकृष्ण जी, भंवर लाल, मंगल, व गणेश अपनी अपनी जमीन मे आते जाते है। प्रार्थीगण के खेत में जाने का यही रास्ता है। खसरा नम्बर 97 व 98 पहले गंगाराम गूर्जर के खेत थे, एक ही गंगाराम जी मालिक थे। तब भी वही रास्ता था। इसके बाद यह खेत गोरधन जी व रूपाराम जी के आये। जो गंगाराम जी के लड़के थे। रूपाराम के गोपा जी,

रामाजी, दो लड़के थे। रामा जी के लड़के गोपाल, जगदीश, हरी, मानाराम, काना व मदन लाल के खसरा नम्बर 97 आया। गोरधन जी के तीन लड़के किसना जी व डालूजी व श्योजी हुये। उसमे किसना जी के भंवरलाल व डालू जी के मंगल व गणेश जो सगे भाईयो की औलाद है। अब इन भाईयो में आपस में न जाने क्या हुआ, इसलिये आपस में एक दूसरो को निकलने नहीं देते। इसलिए भंवरलाल, मंगल, गणेश हमने पश्चिम में रास्ता दे रखा है। पूर्व में रास्ता लेना चाहते है। यह रास्ता हमारी पश्चिम सीमा में होता हुआ भंवर लाल के खेत 240/99 जो माराज से खरीदा हुआ है। पर रजिस्ट्री नहीं हुई है जो भंवरलाल के खेत 239/99 कि अड़ा हुआ है। हमने यह जमीन बेच दी इसलिए इसमें रोड़ा हटकाने व हमने ब्लैकमेल करिने के लिए झूठा दावा पेश किया गया है। अप्रार्थीगण ने जवाब के साथ नजरी नक्शा पेश किया है जिसमें लाल स्याही से दर्शित प्रार्थीगण के लिए उपलब्ध दो वैकल्पिक रास्तो जो मौके पर मौजूद है दर्शाया गया है जिसमे नक्शे में ए.बी.सी.डी.ई. दर्शाया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र प्रार्थना को मय हर्जे खर्चे से खारिज करने की कृपा करावे।

दिनांक 25.02.2021 को अप्रार्थी संख्या 8 नौरत पुत्र जवारा, अप्रार्थी संख्या 9 कानाराम पुत्र भैरू व अप्रार्थी संख्या 10 विश्राम पुत्र भैरू की ओर से वकील श्री नारायण लाल सेन द्वारा जवाब पेश किया कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 खसरा संख्या 95 व 96 के सहखातेदार काबिज काश्तार होने के कथन जवाबकर्तागण की जानकारी के अभाव में अस्वीकार है तथा जवाबकर्ता संख्या 8 खसरा संख्या 334/94 एवं जवाबकर्ता संख्या 9 व 10 खसरा संख्या 94 के सहखातेदार होने के कथन स्वीकार है। प्रार्थीगण काफी दीर्घावधि से उपरोक्त खसरा संख्या 95 एवं 96 की पूर्वी सींव एवं खसरा संख्या 94 एवं 334/94 के पश्चिम सींव से आवागमन नहीं करते आ रहे है बल्कि वास्तविकता यह है कि प्रार्थीगण खसरा संख्या 95 व 96 की पश्चिमी सींव से काफी दीर्घावधि से आते जाते रहे हैं। जवाबकर्तागण की खसरा संख्या 94 व 334/94 की पश्चिम सीवं से भी भी प्रार्थीगण का उनके खेत में आने जाने का आवागमन नहीं रहा है। प्रार्थीगण खसरा संख्या 95 व 96 की पश्चिम सींव से ही आते जाते रहे है। जवाबकर्तागण की खसरा संख्या 94 व 334/94 की पश्चिमी सींव से कभी भी आवागमन नहीं किया जाता रहा है। प्रार्थीगण, जवाबकर्तागण की खातेदारी की भूमि में से आवागमन हेतु रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण, जवाबकर्तागण की खातेदारी की भूमि में से किसी तरह का रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद कैसे है का प्रार्थीगण ने स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना चाही गयी है जो गलत व निराधार तथ्यों के आधार पर चाहीं जाने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।, प्रार्थीगण, जवाबकर्तागण की खातेदारी की भूमि में से किसी तरह का कोई रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जवाबकर्तागण के विरूद्ध मय हर्जे खर्चे के खारिज किये जाने योग्य है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थीगण के प्रार्थना को मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करावें।

दिनांक 22.09.2021 को तहसीलदार किशनगढ द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की गई जिसमें उनके द्वारा जाहिर किया गया कि खसरा खसरा संख्या 98 में आवागमन हेतु वर्तमान स्थिति मौके के अनुसार रास्ते पर रास्ता चालू है। खसरा नंबर 95 व 96 के पश्चिमी सीमा के साथ साथ होता हुआ खसरा नंबर 240/99, 239/99 व 97 की उत्तरी सीमा के साथ–साथ खसरा नंबर 98 तक जो मौका स्थिति अनुसार उचित है, जिसमें खसरा नंबर 95 में से 4 विस्वा , 96 में से 06 बीस्वा, 99 में से 2.5 बिस्वा, 240/99 में से 01 बीस्वा तथा 97 में से 2.5 बीस्वा कुल 16 बीस्वा भूमि अधिग्रहण की जानी है। इसी रास्ते को वर्तमान में अन्य खातेदार काम में ले रहे हैं, जबकि राजस्व नक्शे के अनुसार निकटतम प्रस्तावित रास्ते हेतु कुल 7 बिस्वा भूमि अधिग्रहण होनी है, जो कि खसरा 95 मे से 01 बीस्वा, 96 में से 2.5 बीस्वा तथा 94 में से 2.5

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

बीस्वा, 334/94 मे से 01 बीस्वा कुल 7 बिस्वा भूमि अधिग्रहण होनी है, लेकिन इस रास्ते में से केवल खसरा नंबर 91 का खातेदार भी आवागमन कर सकता है। जबकि अन्य खातेदारों के लिए रास्ता आवागमन या अन्य कृषि कार्य के लिये ये रास्ता काम में नहीं लिया जा सकता। प्रस्तावित निकटतम रास्ते के अलावा एक अन्य रास्ता मौके पर चालू है जिससे अन्य खातेदार खसरा नंबर 239/99, 240/99, 241/99, 377/244, 378/244 आदि के खातेदार इसी रास्ते को कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिए काम में ले रहे हैं।

हमारे द्वारा दिनांक 11.12.2024 को वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया गया तथा तहसीलदार किशनगढ की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। भू.अ.नि. हल्का एवं पटवार हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि वादअधीन भूमि खसरा संख्या 98 में आवागमन के लिये खसरा संख्या 95 व 96 की पश्चिमी मेड के सहारे सहारे मौके पर रास्ता चालू है। प्रार्थीगणों की आराजी में कृषि कार्य हेतु आवागमन हेतु अन्य रास्ता उपलब्ध है तथा प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है एवं मौके पर वैकिल्पक रास्ता चालू है। अतः उपुर्यक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) को इसी स्तर पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13/01/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(निशा सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)